न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—89 / 17 (2017 / 00170) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीश आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मनोहर आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—माधु आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मोहन आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कैलाश आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—चान्दी पत्नि नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लादुलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बंशीलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—कंकु बेवा गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—कमली पुत्री गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—विष्णुकुमार आत्मज सत्यनारायण छीपा नि. ललित कुंज भीमरोड़ आसीन्द तह. आसीन्द
2—भैरू आत्मज रता खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नारायण आत्मज प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मीरा पुत्री प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सीता पत्नि प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—हीरा आत्मज लखमा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 956, 957 अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 112 पर स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजियात में कई वर्षो से हाल आराजी संख्या 1240 / 951, 1241 / 951 व 952 मे से होकर आवागमन कर रहे है। आराजी संख्या 1241 / 951 व 1240 / 951 का मूल नम्बर 951 है जो पूर्व में विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 के स्वामित्व की थी, जिसमे से कुछ भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा क्रय करने से उक्त मूल आराजी 951 के बटा नम्बर कायम किये गये है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 956 व 957 में वर्तमान आराजी संख्या 1240 / 951 के मध्य भाग से आराजी संख्या 961 की से सटमा पाली जो दक्षिण दिशा मे से आराजी संख्या 1241 / 951 की दक्षिणी पाली से एवं आराजी संख्या 952 की दक्षिणी पाली पर होकर आराजी संख्या 957 में संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन निरन्तर करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवागमन करने का कोई भी रास्ता मौके पर मौजुद नही है। विगत कुछ समय से विपक्षीगण प्रार्थीगण के आवागमन को बन्द कर दिया है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण आराजियात संख्या 956, 957 मे संज, बैल, गाड़ी, पैदल,

ट्रेक्टर आदि सहित का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240 / 951 के मध्य भाग से आराजी संख्या 961 की से सटमा पाली जो दक्षिण दिशा मे से आराजी संख्या 1241 / 951 की दक्षिणी पाली से एवं आराजी संख्या 952 की दक्षिणी पाली पर होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 957 तक घोषित कराते हुए प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क / प्रतिकर जमा कर विपक्षीगण को दिलाते हुए राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिकार पत्र हरिश टेलर द्वारा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 7 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी व भूमिया अन्य व्यक्तियो की खातेदारी भूमि से घिरी हुई नही है बल्कि रास्ता उपलब्ध है आवागमन हो रहा है। प्रार्थी उसकी आराजियात संख्या 956 व 957 में वर्तमान में 1240 / 951 व 1241 / 951 व 952 में होकर आवागमन नही कर रहे है न ही इन भूमियो में रास्ता उपलब्ध ही है सारे तथ्य गलत व मनमकसुद तरीके से गलत अकिंत किये है तथा प्रार्थी अभी मौका रिपोर्ट में बताये अनुसार रास्ते से अभी आवागमन कर रहा है। हम विपक्षीगण प्रार्थीगण के किसी रास्ते को बंद नही किया है और न ही प्रार्थीगण भूमि का उपयोग उपभोग करने से वछिंत हुए है। हमारी आराजियात में कोई रास्ता मौजुद नही है न ही कभी रहा है तथा मुझ विपक्षी की आराजियात औद्यौगिक संमपरिवर्तन है उसमें प्रार्थीगण रास्ता दर्ज कराने के अधिकारी नही है। मेरे को गलत पक्षकार बनाया गया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी संख्या 1 की आराजियात संख्या 1240 / 951 व 1241 / 951 रेकार्ड में औद्योगिक समंपरिवर्तन होकर उसमें गिट्टी व क्रेसर के प्लान्ट लगे हुए है इस न्यायालय द्वारा औद्योगिक संमपरिवर्तन भूमि में कोई रास्ता कानुनन नही दिया जा सकता है। प्रार्थीगण के लिये रास्ता दो तरफ से तैयार होकर उपलब्ध है। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र सव्यव खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम आसुणा के खसरा नम्बर 956, 957 मैं जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 1240 / 951, 1241 / 951 पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही हैं। उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता नही होने से बन्द है। मौके पर उक्त विवादित रास्ता के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है तथा अस्थाई तौर से खसरा नम्बर 953 की तरफ से आना जाना करते है ऐसा उपस्थिति मौतबिरान ने मौके पर बताया है। खसरा नम्बर 953 भी खातेदारी भूमि है। वर्तमान में उक्त खसरो पर पैदल तो खसरा नम्बर 1240 / 951, 961 में होकर कभी कभार जाते है। क्योकि उक्त खसरे मौके पर खुले पड़त पड़े होने से जाते है। उक्त मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। परन्तु उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताया कि खसरा नम्बर 953 से होकर टुगंच सड़क से होकर आवागमन हो सकता है। परन्तु खसरा नम्बर 953 भी खातेदारी है। मौके पर वादी द्वारा वाद में चाहा गया खसरा नम्बर 1240 / 951 रकबा 0.65 है0 मे से 0.58 है0 भूमि समंपरिवर्तन होकर आद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है तथा जिस जगह रास्ता

चाहा गया है वहां पर क्रेशर प्लान्ट की मशीनरी लगी हुई है अतः इस जगह से रास्ता नही निकाला जा सकता है। नजरी नक्शा संलग्न है। इसके बाद प्रार्थी को सुलभ रास्ते हेतु पुनः मौका रिपोर्ट ली गई जो भी शामिल पत्रावली है मोका रिपोर्ट में दर्शाया कि मौके पर प्रार्थी द्वारा बताया कि आराजी नम्बर 1240/951 के दक्षिणी मेड़ के सहारे होते हुए आराजी नम्बर 961 की दक्षिणी मेड़ और पश्चिम मेड़ व खसरा नम्बर 958, 959 की उत्तरी मेड़ के सहारे रास्ता चाहना बताया। मौका रिपोर्ट साथ संलंग्न है।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवदेन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवदेन किया कि भूमि औद्यौगिक प्रयोजनार्थ संमपरिवर्तन करा रखी है और मौके पर क्रेशर पलान्ट की मशीने लगा रखी है और जगह जगह पत्थरो का स्टॉक पड़ा हुआ है जिसे रास्ता दिया जाना संभव नही होने से जिससे प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु चाहा गया है जहां पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार क्रेशर प्लान्ट की मशीने लगी हुई है इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट में आराजी नम्बर 39, 953 की ओर से रास्ता दिया जा सकता है दर्शाया गया है जो काफी दुरी का है और प्रार्थीगण आसुणा के रहने वाले है जिसके लिये उपयुक्त नही है। प्रार्थी के द्वारा खसरा नम्बर 952 1240/951, 1241/951 के खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है जिसे सुना गया और मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे का गहनता से अवलोकन किया विपक्षीगण की भूमि को औद्योगिक परिवर्तन करवा रखी है तथा मौके पर क्रेशर प्लान्ट लगा रखा है और शेष जगह पत्थरो के ढेर पड़े हुए है जहां रास्ता नही दिया जा सकता है दुबारा दिनांक 11.08.2020 को तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट पेश हुई उसमें प्रार्थी द्वारा 1240/951 की दक्षिणी मेड़ खसरा नम्बर 961 की दक्षिणी और पश्चिमी मेड़ व खसरा नम्बर 858, 959 की उत्तरी मेड़ के सहारे रास्ता चाहता है किन्तु इस प्रकरण में खसरा नम्बर 958, 959 के खातेदार पक्षकार नही है जिससे उनको बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनकी खातेदारी भूमि में रास्ता दिया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी अनुसार खारीज होकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.08.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—89 / 17 (2017 / 00170) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीश आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मनोहर आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—माधु आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मोहन आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कैलाश आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—चान्दी पत्नि नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लादुलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बंशीलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—कंकु बेवा गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—कमली पुत्री गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—विष्णुकुमार आत्मज सत्यनारायण छीपा नि. ललित कुंज भीमरोड़ आसीन्द तह. आसीन्द
2—भैरू आत्मज रता खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नारायण आत्मज प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मीरा पुत्री प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सीता पत्नि प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—हीरा आत्मज लखमा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी अनुसार खारीज होकर फैसल शुमार हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

13.08.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 14:36:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: